फर्द अहकाम

कार्यालयः– **न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर**

अनवानः– **केनफिन होम्स लिमिटेड**

बनाम

श्रीमती जय श्री हरिजन

किस्म मुकदमाः– प्रा. पत्र सरफैसी **पत्रावली संख्या 118/25**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई।
	03.02.2026 पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी कम्पनी द्वारा एक विड्रो प्रार्थना पत्र दिनांक 03.02.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ऋणी द्वारा बैंक से लिए गये ऋण की बकाया राशि बैंक में जमा करवाकर अपना ऋण खाता बंद करवा दिया है और ऋणी का अब बैंक में कोई राशि बकाया नहीं रहती है। बैंक को अपनी समस्त बकाया राशि प्राप्त हो गई है और ऋणी से कोई वसूली बाकी नहीं है, इस कारण बैंक ऋणी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है एवं वाद विड्रो करना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र विड्रो फरमाया जावे। प्रकरण मे उपस्थित कम्पनी प्रतिनिधि/अधिवक्ता को सुना गया, जिनके द्वारा निवेदन किया गया कि बैंक/प्रार्थी कम्पनी को अब समस्त बकाया राशि प्राप्त होने एवं ऋणी से कोई राशि बकाया नही होने से प्रार्थी विपक्षी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बैंक/प्रार्थी कम्पनी को बकाया राशि प्राप्त होने से प्रार्थी विपक्षी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः प्रार्थी कम्पनी का प्रार्थना पत्र विड्रो से स्वीकार किया जाकर पत्रावली की कार्यवाही को इसी स्तर पर बंद किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार हो। **(नमित मेहता)** **जिला मजिस्ट्रेट** **उदयपुर**	